न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–95/17 दायर दिनांक:– 16.08.2021

जीसीएमएस नं. 2017/00311

1. मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी विराजमान कस्बा हिण्डौन जरिये महन्त श्री सुरेश चंद शर्मा पुत्र श्री रामकिशोरदास जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन

––सायल

बनाम

1. महेश चंद
2. शिवजी
3. रामेश्वर
4. इन्दर

पिसरान श्री मिट्ठू जाति धाकड निवासी सदर थाने सामने वार्ड न0 7 हिण्डौन तह0हिण्डौन

5. मु0 कमला वेवा टोमीसिंह
6. अशोक
7. नरेन्द्र
8. धर्मेन्दर

पिसरान टोमीसिंह जाति धाकड निवासी वार्ड न0 7 हिण्डौन

9. नेनिहाल दत्तक पुत्र कुंजीलाल

–– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थित –1.श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायल
2 श्री पी.एल.गोयल अधिवक्तागैरसायलान

निर्णय दिनांक:– 15.04.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता सं0 1479 सम्बत 2012 लगायत 2024 में वर्णित आराजीयात साबिक खसरा नम्बरान 2757 रकवा 5 बीघा एवं विस्वा मौजूदा खसरा नम्बरान 5551 रकवा 98 ऐयर खसरा न0 5561 रकवा 44 ऐयर सेटिलमेंट द्वारा कायम किये है,इसी प्रकार साबिक [illegible] 2 रकवा 17 विस्वा का मौजूदा ख0न0 5565 रकवा 28 ऐयर कायम किया है। साबिक ख0न0 2753 रकवा 7 बीघा 1 विस्वा को मौजूदा ख0न0 5652 रकवा 1.73 है0 कायम किया है। जो कस्बा हिण्डौन में स्थित है।

खाता सं0 1479 कस्बा हिण्डौन की साबिक आराजी ख0 न0 2753,27[illegible] एवं 2902 किता 3 रकवा 15 बीघा 10 विस्वा के बावत जरिये रेफरेन्स मु0 न0 2353 [illegible] 8.9.1987 को श्रीमान ए.डी.एम करौली द्वारा स्वीकार फरमाते हुए उक्त खाता की आराजीयत एवं अन्य खाता सं0 1544 व 1189 की आराजीयता को माफी मूर्ति मंदिर रघुनाथजी कस्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Scanned with CamScanner

हिण्डौन की मिल्कीयत मानते हुए रेफरेन्स स्वीकार फरमाया है। जो राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश तारीख 13.6.86 की पालना में आदेशित कर वर्णित न0 2 प्रार्थना पत्र एवं अन्य आराजीयात मूर्ति मंदिर की खातेदारी में अंकित करने के आदेश पारित फरमावा दिये गये। तत्समय आराजी वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र गैरसायलान की खातेदारी में थी। जिस पर आदेश तारीखी 8.9.1987 ए.डी.एम करौली की अनुपालना में कब्जा सायल करवा दिया गया, गैरसायलान सं0 5 लगा0 8 के पिता टोमी द्वारा अपनी स्वंय की खातेदारी में आराजी विवादग्रस्त अपने हिस्से को राज आबकारी विभाग के गिरवी रख देने फलस्वरूप सायल के नाम खातेदारी तब्दील उक्त ख0 न0 की नही हो सकी सायल द्वारा इस दौरान काफी प्रयास किया, मगर गैरसायलान ने जमाबंदी पर रहन मुर्तहन कानोट होने के फलस्वरूप खातेदारी सायल के नाम तब्दील नही हो सकी। लेकिन कब्जा सायल का ही चला आ रहा है।

बाका दिनांक 7.8.2017 को सायल को हिण्डौन आबकारी कार्यालय स्टेशन बजरिया हिण्डौन गया था। कि वहॉ पर वादी सायल आबकारी विभाग के कर्मचारीयों द्वारा अवगत कराया कि गैरसायलान ने आबकारी विभाग से साज कर लिया है, और साजिसाना तौर पर मूर्ति मंदिर की खातेदारी की जमीनो को नीलाम कर आबकारी विभाग के ऋण को चुकता कर रहे है, जबकी माननीय रेवन्यू बोर्ड के आदेशानुसार जमीन मंदिर की खातेदारी की तय हो चुकी है। महज सरकारी कर्मचारीयों की साज से मंदिर के नाम खातेदारी इन्द्राज नही हुआ है। इस प्रकार अगर मंदिर की जमीन नीलाम हो गयी, तो वादी सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना संभव नही है। इसलिए मंदिर की जमीन की नीलामी नही करवाने बावत स्थगन आदेश जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 से ताफैसला मुकदमा इसप्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी ख0 न0 5551, 5561, 5565 रकवा 1.64 है0, ख0 न0 5652 रकवा 1.73 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 3.47 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन को रहन,व्यय नहीं करें। उक्त खसरा न0 मूर्ति मंदिर रघुनाथजी विराजमान कस्बा हिण्डौन की मिल्कीयत है, उक्त खसरा नम्बर मूर्तिमंदिर रघुनाथजी विराजमान कस्बा हिण्डौन की मिल्कीयत है, उसकी नीलामी नही करवायें, गैरसायलान की स्वंय की खातेदारी की 18 बीघा जमीन में से नीलाम करवाने के आदेश प्रदान करने के संबध मे निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलन की तलवी करायी गई वाद तामील शामिल किये गये । प्रकरण में गैरसायलान वकील द्वारा जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रकरण में सायल वकील की बहस सुनी गई सायल वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। एवं गैरसायलान वकील ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त प्रकरण का निस्तारण मूल वाद के निर्णय पर होगा तब तक उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं [illegible] होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष [illegible] आराजी की रिकॉर्ड व मौका की स्थिति ताफैसला बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो। [illegible]0 से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:14:47 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned with CamScanner